

हेतु अपेक्षित है, के अलावा केन्द्र सरकार की भूमि पर अपनी लगत से मूलभूत सुविधाएं मुहैया कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा कोई निर्माण कार्य करने से पूर्व सम्बन्धित केन्द्रीय विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। अतः यह राज्य सरकार का काम है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित केन्द्रीय विभाग के साथ मामले को आगे बढ़ाये और इस सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग को मामले दर मामले के आधार पर निर्णय लेना होता है।

3976. [Transferred to 22nd December, 1992]

Supply of drinking water to Dr. Ambedkar Camp, Nehru Place, Delhi

3977. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Dr. Ambedkar Camp, Nehru Place Basti, New Delhi is supplied drinking water by the Municipal Corporation of Delhi;

(b) if not, whether Government propose to supply drinking water to the said Basti?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking has reported that water supply is available through Deep Bore Hand Pumps in this area.

Unauthorised construction by owners of residents in Delhi

3978. SHRIMATI KAILASHPATI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ninety percent owners of residence in New Delhi have added unauthorised structures to their premises beyond the permissible limits and the same are being used for commercial purposes;

(b) whether Government would fix up

responsibilities on the concerned MCD officials; and

(c) whether Government would pull down the unauthorised structures; if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) Action is taken against the MCD officials responsible for checking unauthorised construction in cases where they are found guilty of negligence of duty. NDMC has initiated action in all cases and so no responsibility is required to be fixed.

(c) New Delhi Municipal Committee has reported that action in all the cases of unauthorised constructions detected by it are under process in accordance with law for taking demolition action. Cases of unauthorised constructions under the jurisdiction of Municipal Corporation of Delhi are also actionable under the DMC Act.

Illegal transfer of Agricultural land

3979. SHRIMATI KAILASHPATI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of agricultural land in Delhi which have been transferred illegally and covered by unauthorised structures etc. by the purchasers etc. in contravention of the relevant laws during the last three years;

(b) whether Government would remove all the illegal and unauthorised constructions from the above said land within a specified time and take action against the illegal sales in accordance with the provisions of laws;

(c) whether Government would issue a public notice under Delhi Development Act, 1957 prohibiting the illegal constructions and illegal sale etc. if not what are the reasons therefor; and

(d) whether Government would refuse

to regularise any such unauthorised colony raised in January, 1992 onwards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The details are not available.

(b) The Municipal Corporation of Delhi, Delhi Development Authority and Delhi Administration take action under relevant laws - to remove illegal constructions which come to their notice while illegal sale of agricultural land is liable for action under land reform laws.

(c) There is no provision in the Delhi Development Act, 1957 for the issue of such a public notice. However, action under this Act against illegal construction is taken by DDA as and when such constructions are noticed.

(c) No decision has been taken on the regularisation of unauthorised colonies after June, 1977.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ

3980. श्रीमती सत्या बहिन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान आमतौर पर उनके मंत्रालय और विशेष रूप से सम्पदा निदेशालय के संदर्भ में ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने मामले अभी विचारधीन हैं और कितने आवेदन पत्र रद्द कर दिये गए और प्रत्येक मामले में रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इन लम्बित मामलों का निर्णय करने हेतु कोई समयबद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, नहीं। सभी मामलों पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों

के अनुसार विचार किया जाता है जिनमें अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए मंत्रालय में बारह आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से बारह प्रार्थियों को नौकरी दी गई है और सम्पदा निदेशालय से संबंधित केवल एक मामले में नौकरी नहीं दी गई थी। यह मामला, दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आता था और आवेदक ने मंत्रालय द्वारा मांगी गई सूचना भी नहीं दी थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

3981. श्रीमती सत्या बहिन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि सहायक अभियंता के आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ग) ऐसे आरक्षित पदों की संख्या कितनी है और वे कब से खाली पड़े हुए हैं;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के स्नातक अभियंताओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार सहायक अभियंताओं के आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति के स्नातक अभियंताओं के आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति के स्नातक अभियंताओं की नियुक्ति करने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।